राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
प्लॉट सं. 85, सेक्टर–18, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
गुरूग्राम–122015 (हरियाणा)
दूरभाष. 0124-2347441, Fax : 2342991, 2341225
वेबसाइट : www.nhb.gov.in

नागरिक चार्टर

1. दृष्टिकोण एवं मिशन
2. एन.एच.बी. के उद्देश्य/सेवाएं
3. संगठनात्मक संरचना
4. प्रमुख योजनाएं
5. शिकायत तंत्र एवं निपटान के लिए समय–सीमा
6. एन.एच.बी. कार्यालय/संपर्क बिन्दु

नागरिक चार्टर

परिचय

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) की स्थापना भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 1984 में डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन, तत्कालीन सदस्य (कृषि), योजना आयोग, भारत सरकार की अध्यक्षता में ''विनाशवान कृषि उत्पादों पर समूह'' की सिफ़ारिशों के आधार पर की गई थी। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है तथा इसका मुख्यालय गुरूग्राम में है।

दृष्टिकोण

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि वाणिज्यिक बागवानी न केवल भोजन तथा पोषण सुरक्षा मुहैया करवाती है बल्कि बेहतर आर्थिक लाभ तथा किसानों हेतु जोखिम के न्यूनीकरण हेतु फसल विविधता के लिए मार्ग भी प्रशस्त करती है, वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं के माध्यम से निजी निवेश हेतु समन्वित प्रयासों द्वारा इस क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता की परिकल्पना की गई है। इस क्षेत्र में समूह में वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार, कटाई उपरांत प्रबंधन से संबंधित अवसंरचना के साथ प्रौद्योगिकी विकास तथा अंतरण के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के प्रयास, उत्पाद संवर्धन, विपणन तथा निर्यात शामिल हैं। इस दृष्टिकोण के साथ, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड संसाधनों के बेहतर उपयोग, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा पैमाने में वृद्धि का लाभ उठाने हेतु उत्पादक किसानों को एकत्र करके संभावित समूहों में वाणिज्यिक बागवानी के विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास कर रहा है।

मिशन

- उत्पादक केंद्र के विकास और गुणवत्ता वाली पौधरोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी को बढ़ावा देना।
- कटाई उपरांत प्रबंधन तथा हरित शीत श्रृंखला अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देना।
- गुणवत्तायुक्त उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के विकास एवं हस्तांतरण को बढ़ावा देना।
- उत्पादकों, किसानों, विस्तार कामगारों, अनुसंधान संगठनों, निजी शेयरधारकों और ऋण संस्थानों के बीच परस्पर सहयोग के माध्यम से उत्पाद संवर्धन, बाज़ार विकास और निर्यात संवर्धन।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड देश में बागवानी उद्योग के एकीकृत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सेवाओं/उद्देश्यों, प्रमुख योजनाओं, शिकायत तंत्र और एन.एच.बी. कर्यालयों का विवरण नीचे दिया गया है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उद्देश्य

एन.एच.बी. का मुख्य उद्देश्य बागवानी उद्योग के एकीकृत विकास में सुधार करना और फलों और सब्जियों के उत्पादन और प्रसंस्करण को बनाए रखने में समन्वय बनाने में मदद करना है। बोर्ड के विस्तृत उद्देश्य नीचे दिए गए हैः

i) चिह्नित क्षेत्रों में उच्च–प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक बागवानी का विकास और ऐसे क्षेत्रों को बागवानी गतिविधि से गुंजायमान करना जो बाद में बागवानी के विकास के लिए केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे।

ii) क्षेत्र विस्तार परियोजनाओं के समग्र भाग के रूप में या परियोजनाओं के समूह के लिए सामान्य सुविधाओं के रूप में आधुनिक कटाई–उपरांत प्रबंधन की अवसंरचना का विकास करना।

iii) ताजे बागवानी उत्पाद के लिए एकीकृत, ऊर्जा कार्यक्षम शीत श्रृंखला अवसंरचना का विकास करना।

iv) प्रौद्योगिकी और जरूरत निर्धारण करने के पश्चात् वाणिज्यिकरण/अंगीकरण हेतु चिह्नित नई प्रौद्योगिकियों/औजारों/तकनीकों का प्रचार–प्रसार करना।

v) कलम तथा प्रकंदन बैंकों/मदर प्लांट नर्सरियों की स्थापना का संवर्धन करते हुए और बागवानी नर्सरियों के प्रत्यायन/मूल्यांकन करते हुए तथा रोपण सामग्री के आवश्यकता आधारित आयातों द्वारा गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करना।

vi) ताजे बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देना तथा बाजार का विकास करना।

vii) नए विकसित/आयातित रोपण सामग्री और अन्य कृषि निवेशों, उत्पादन प्रौद्योगिकी, पी.एच.एम. प्रोटोकॉल्स, आई.एन.एम. तथा आई.पी.एम. प्रोटोकॉल्स के फील्ड परीक्षणों को बढ़ावा देना तथा उद्गम प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिकरण हेतु अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

viii) लेबर लागत कम करने और बागवानी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बागवानी में फार्म मशीनीकरण को इसके प्रदर्शन और किसानों के खेतों में इसके उपयोग के माध्यम से बढ़ावा देना।

ix) पी.एच.एम. प्रोटोकॉलों के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, ताज़े बागवानी उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण भंडारण परिस्थितियां निर्धारित करना, शीत श्रृंखला अवसंरचना के लिए तकनीकी मानकों के तलचिह्न स्तर निर्धारित करना आदि।

x) उत्पादकों/किसानों तथा सेवा प्रदाताओं जैसे बाग़बानों, मालियों, फार्म स्तर पर कुशल कामगारों, कोल्ड स्टोरेज़ों में परिचालक, ताज़े बागवानी उत्पाद के प्रसंस्करण सहित फसल–कटाई उपरांत प्रबंधन करने वाले कार्यबल और मास्टर प्रशिक्षकों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण।

xi) बागवानी उत्पाद और उत्पादों के उपभोग को बढ़ावा देना।

xii) रेल आदि के माध्यम से बागवानी उत्पाद के थोक आवागमन के लिए लम्बी दूरी परिवहन समाधान को बढ़ावा देना।

xiii) बागवानी के व्यवस्थित विकास के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि रणनीतियाँ विकसित करने और अवरोधों की पहचान करने के लिए अध्ययन और सर्वेक्षण करना तथा सलाहकारी एवं परामर्श सेवाओं सहित तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करवाना।

संगठनात्मक संरचना

एन.एच.बी. की गतिविधियों का प्रबंधन एक सर्वोपरि निकाय ''निदेशक मंडल'' द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री होते हैं और इसके उपाध्यक्ष माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री होते हैं। जबकि केंद्रीय सचिव (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण) एन.एच.बी. की प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं। बोर्ड का मुख्य कार्यालय गुरूग्राम, हरियाणा में स्थित है। इसके अलावा, देश के विभिन्नि क्षेत्रों में 36 क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है।

क. निदेशक मंडल

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के सभी क्रियाकलापों का प्रबंधन एक शीर्ष निकाय "निदेशक मंडल" द्वारा किया जाता है जिसके प्रमुख इसके अध्यक्ष के रूप में माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं तथा माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं। बोर्ड के अन्य सदस्य हैं:

- सचिव, डीएसी एवं एफडब्ल्यू, भारत सकार (पदेन);
- महानिदेशक, आईसीएआर (पदेन);
- अपर सचिव (बागवानी), डीएसी एवं एफडब्ल्यू, (पदेन);
- वित्तीय सलाहकार, डीएसी एवं एफडब्ल्यू, (पदेन);
- मिशन निदेशक, एमआईडीएच, डीएसी एवं एफडब्ल्यू, (पदेन);
- बागवानी आयुक्त, डीएसी एवं एफडब्ल्यू, (पदेन);
- सलाहकार, कृषि, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग (पदेन);
- अध्यक्ष, अपीडा (पदेन);
- बागवानी उद्योग के ग्यारह प्रतिनिधि जो सहकारी समितियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले, प्रख्यात बागवानी विशेषज्ञ तथा बागवानी उत्पाद के अग्रणी निर्यातक होंगे। (केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा);
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, या किसी अन्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि जिसे विशेष रूप से अध्यक्ष की सहमति से आमंत्रित किया जा सकता है। (पदेन);
- प्रबंध निदेशक, एन.एच.बी. – सदस्य–सचिव

ख. रा.बा.बो. की प्रबंध समिति

केंद्रीय सचिव (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में इसके प्रमुख हैं। इस समिति को बोर्ड के मामलों एवं कार्यों के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य सौंपा गया है। प्रबंध समिति का संघटन निम्नलिखित है:

i	सचिव (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण)	अध्यक्ष (पदेन)
ii	अपर सचिव/विशेष सचिव (प्रभारी, बागवानी), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
iii	वित्तीय सलाहकार कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
iv	अध्यक्ष कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)	सदस्य (पदेन)
v	बागवानी आयुक्त, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग सदस्य	सदस्य (पदेन)
vi	मिशन निदेशक, एमआईडीएच कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग सदस्य	सदस्य (पदेन)

vii	महाप्रबंधक, नाबार्ड	सदस्य (पदेन)
viii	किसानों का एक प्रतिनिधि (केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा)	सदस्य (पदेन)
ix	प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	सदस्य–सचिव (पदेन)

हमारी अवसंरचना

- 5.4 एकड़ में फैला हुआ एक बहुत ही सुव्यवस्थित हरा–भरा परिसर।
- प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में भी पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कार्य वातावरण।
- बागवानी प्रकाशनों की व्यापक श्रृंखला के साथ एक सुसज्जित पुस्तकालय।
- प्रधान कार्यालय में समिति हॉल, अतिथि गृह तथा कैंटीन सुविधाएँ।
- पोली हाऊस तथा नेट हाऊस हेतु प्रदर्शन इकाईयाँ।

योजनाएँ/कार्यक्रम

वर्तमान में, बोर्ड निम्नलिखित योजनाओं को लागू कर रहा है, जिसके विस्तृत दिशानिर्देश हमारी वेबसाइट www.nhb.gov.in पर उपलब्ध हैं:

1. बागवानी फसलों के उत्पादन और फसल–कटाई उपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास
2. बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेजों और स्टोरेजों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना
3. बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास तथा अंतरण
4. बागवानी फसलों के लिए बाजार सूचना सेवा
5. बागवानी संवर्धन सेवाएँ/विशेषज्ञ सेवाएँ और एन.एच.बी. की क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण

निपटान के लिए शिकायत तंत्र और समय–सीमा

श्री पी. आर्य, संयुक्त दिनेशक, एनएचबी लोक शिकायत अधिकारी के रूप में कार्य करता है ताकि शिकायतों का तुरंत निवारण किया जा सके। जनता हर बुधवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच अपनी शिकायतों के संबंध में पीजीओ से मिल सकते हैं। पीजीओ का ई–मेल पता हैः paryanhb@gmail.com जहां तक, जनता की शिकायतों को हल करने के लिए समय सीमा का संबंध है, इसका उत्तर शिकायतकर्ता को एक सप्ताह के भीतर भेजा जाएगा जबकि तीन महीने के भीतर प्राप्त हुई शिकायतों को निपटाने का बोर्ड का प्रयास रहेगा। इसके अलावा, हमारी सेवाओं में सुधार और जनता की प्रतिक्रिया के लिए समय–समय पर नागरिक चार्टर की समीक्षा की जाएगी।

राज्य समिति

एनएचबी के राज्य कार्यालयों पर परियोजनाओं के लिए सब्सिडी की स्वीकृति हेतु रु. 50.00 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं पर विचार करने के लिए राज्य बागवानी/कृषि विभाग, नाबार्ड, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू) और एनएचबी से सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है। राज्य के संबंधित केन्द्र पर परियोजनाओं पर विचार करने के लिए समय–समय पर समिति–सदस्यों को सूचित किया जाता है।

आंतरिक समिति

एनएचबी के मुख्यालय में एनएचबी योजनाओं के अंतर्गत सब्सिडी और अनुदान की स्वीकृति हेतु रु. 50.00 लाख से अधिक और रु. 100.00 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं पर विचार करने के लिए प्रबंध निदेशक, एनएचबी की अध्यक्षता में आईसीएआर, आईएफडी, डीएसी एंड एफडब्लू से बाहरी सदस्यों और एनएचबी से आंतरिक सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है। परियोजनाओं पर विचार करने के लिए समय–समय पर समिति–सदस्यों को सूचित किया जाता है।

परियोजना अनुमोदन समिति

एनएचबी मुख्यालय में एनएचबी योजनाओं के अंतर्गत सब्सिडी की स्वीकृति हेतु रु. 100.00 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाओं पर विचार करने के लिए प्रबंध निदेशक, एनएचबी की अध्यक्षता में आईसीएआर, एनसीडीसी, एपीडा, डीएमआई, नीति आयोग, एकीकृत वित्त प्रभाग, डीएसी एंड एफडब्ल्यू, बागवानी आयुक्त, एनएचएम, एमओएफपीआई, डीएमडी, एनएचबी के सदस्यों की एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। परियोजनाओं पर विचार करने के लिए समय–समय पर समिति–सदस्यों को सूचित किया जाता है।